न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष एम.के.सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3585-I/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 01.08.2014 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला जबलपुर प्रकरण क्रमांक 3/2013–14 पुनरीक्षण

योगेश रघुवंशी पुत्र श्री विजय प्रताप सिंह रघुवंशी,
निवासी लोकेश बिल्डिंग वर्क्स, गनेशगंज,
रांझी, तहसील व जिला–जबलपुर (म.प्र.)

..... आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन, द्वारा कलेक्टर, जिला जबलपुर
कलेक्ट्रेट कार्यालय, जबलपुर (म0प्र0)

..... अनावेदक

श्री के.के. द्विवेदी, धर्मेन्द्र चतुर्वेद्री अभिभाषक, आवेदक

श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव शास. अभिभाषक अनावेदक

आदेश

(आज दिनांक 11.../9/15)

यह निगरानी कलेक्टर जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 3/2013–14 पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 01.08.2014 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कसही नं.ब.548, प.ह.नं.15, रा.नि.म. महाराजपुर, तहसील पनागर, जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 287/3 रकवा 0.380 हैक्टेयर यानी 95 डिसमिल का अभिलिखित भूमिस्वामी है और उसका नाम शासकीय अभिलेखों में भूमिस्वामी की हैसियत से दर्ज है। आवेदक ने उपरोक्त भूमि रजिस्ट्रीशुदा बेनामा दिनांक 12.10.2010 को खेमचरण उर्फ अमर कुमार, जीवनलाल, अनिललाल तीनों के पिता रामचरण प्रजापति, निवासी 1481, द्वारिकानगर, जबलपुर वालों से खरीदकर मालिक काबिज चला आ रहा है। आवेदक द्वारा भूमि खरीदने के बाद अपना नाम शासकीय अभिलेख दर्ज कराने हेतु नायब तहसीलदार को आवेदन पत्र दिया था, जिस नायब तहसीलदार ने जांच करने के पश्चात् अपने राजस्व प्रकरण क्रमांक 192/अ–6/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 27.11.2010 के अनुसार आवेदक का नाम शासकीय अभिलेखों में दर्ज करने का आदेश दिया, तदानुसार नायब तहसीलदार ने आवेदक का नाम राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी हक में दर्ज कर दिया । उक्त आदेश के विरूद्ध किसी ने कोई आपत्ति, अपील, रिवीजन अथवा पुर्नविलोकन नहीं किया। इस तरह आवेदक उक्त भूमि का एकमात्र काबिज हो गया था। कलेक्टर जबलपुर के कार्यालय से एक कारण बताओ सूचना पत्र प्राप्त हुआ कि न्यायालय तहसीलदार, पनागर के प्रकरण क्रमांक 179/अ–6/2011–12 में प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 07.04.2014 की छायाप्रति संलग्न है। उक्त प्रतिवेदन ग्राम कसही के उल्लेखित खसरा कमांक में की गई प्रविष्टियों को म0प्र0 भू– राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत स्वप्रेरणा में लिया जाकर न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक पुनरीक्षण/2013–14 दर्ज किया गया, जिसमें आवेदक की उपरोक्त भूमि जो पुनरीक्षण की कण्डिका क्रमांक 1 में दर्शायी गयी है, को भूमिस्वामी हक में दर्ज खसरा को वापिस मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया, जिसके संबंध में आवेदक द्वारा जबाव पेश करने हेतु दिनांक 07.05.2014 तक समय दिया गया, तदानुसार आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला जबलपुर के समक्ष उपरोक्त कारण बताओ सूचना पत्र का विरोध करते हुए निवेदन किया, कि जिस आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण याचिका कलेक्टर न्यायालय में स्वप्रेरणा से कार्यवाही करने का कारण बताओ नोटिस में ना तो आदेश के संबंध में कोई ब्यौरा दिया गया है और ना ही किसी प्रोसिडिंग के संबंध में कोई जानकारी दी है, ऐसी स्थिति में कलेक्टर न्यायालय द्वारा दिया गया, कारण बताओ सूचना पत्र विधि के विपरीत है। जहाँ तक प्रश्न तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 07.04.2014 का है, उसमें वर्ष 1984–85 में प्रश्नधीन भूमि राजस्व प्रकरण क्रमांक 46/अ–19/1984–95 न्यायालय एस.बी. मेश्राम, नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 12.04.1985 द्वारा कसही में स्थित शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 342 पुराना खसरा क्रमांक 34212 बन्दोबस्त पश्चात् वर्तमान खसरा क्रमांक 287 में से 2 हैक्टेयर भूमि मद घास राजू बल्द सूरज को पट्टे पर दी गयी थी और उसका नाम भूमिस्वामी हक में पट्टे के

अनुसार दर्ज किया गया था। उक्त आबंटन के विरूद्ध किसी ने ना तो कोई अपील की और ना ही पुनरीक्षण किया गया। राजू बल्द सूरज का नाम शासकीय अभिलेखों में भूमिस्वामी हक में दर्ज चला आ रहा था। वर्ष 1990–91 में ग्राम बन्दोबस्त हुआ, बन्दोबस्त के दौरान भी किसी ने कोई आपत्ति नहीं की और विधिवत बन्दोबस्त के पट्टे जारी किये गये और उनको बन्दोबस्त अधिकारी ने कोई आपत्ति ना आने पर पुष्टि कर दी गयी, इसलिए राजू बल्द सूरज का नाम भूमिस्वामी हक में दर्ज किया। बन्दोबस्त समाप्त होने के बाद उसका नोटिफिकेशन भी किया गया लेकिन किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, यहाँ तक कि शासन की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गयी। तत्पश्चात राजू बल्द सूरज ने उपरोक्त भूमि रजिस्ट्रीकृत बयनामें से कई लोगों को विक्रय कर दी । इस प्रकार आवेदक ने जिससे जमीन रजिस्ट्रीकृत बयनामें से खरीदी है, उसका नाम भूमिस्वामी हक में दर्ज रहा है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए कलेक्टर को सभी बिन्दुओं पर अवगत कराया गया। किन्तु उनके द्वारा अपने आदेश दिनांक 01.08.2014 के अनुसार आवेदक के भूमिस्वामी हक की भूमि खसरा क्रमांक 287/3, रकवा 0.380 हैक्टेयर को भूमिस्वामी हक से बदलकर शासकीय मद में दर्ज करने का आदेश दे दिया गया। जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा यह वर्तमान निगरानी राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह बताया कि कलेक्टर, जिला जबलपुर द्वारा आवेदक को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश पारित किया है। जबकि आवेदक खसरा नं. 287/3 रकवा 0.380 हैक्टेयर यानि 95 डिसमिल का अभिलिखित भूमि स्वामी है और उसका नाम शासकीय अभिलेखों में भूमिस्वामी की हैसियत से दर्ज है। आवेदक ने उपरोक्त भूमि बेनामा दिनांक 12.10.2010 को खेमचरण उर्फ अमर कुमार, जीवनलाल, अमरलाल तीनों के पिता रामचरण प्रजापति, निवासी 1481, द्वारिकानगर, जबलपुर से खरीदकर मालिक काबिज चला आ रहा है। आवेदक द्वारा भूमि खरीदने के बाद अपना नाम शासकीय अभिलेख में दर्ज कराने हेतु नायब तहसीलदार को आवेदन पत्र दिया था, जिस नायब तहसीलदार ने जांच करने के पश्चात् अपने राजस्व प्रकरण क्रमांक 192/अ–6/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 27.11.2010 के अनुसार आवेदक का नाम शासकीय अभिलेख में दर्ज करने का आदेश दिया, तदानुसार नायब तहसीलदार ने आवेदक के नाम राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी हक में दर्ज कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध किसी ने कोई आपत्ति, अपील, रिवीजन अथवा पुर्नविलोकन नहीं किया। इस तरह आवेदक उक्त भूमि का एकमात्र काबिज हो गया था। श्रीमान् कलेक्टर महोदय, जबलपुर के कार्यालय से एक कारण बताओ सूचना पत्र प्राप्त हुआ कि न्यायालय तहसीलदार, पनागर के प्रकरण क्रमांक 179/अ–6/2011–12 में प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 07.04.2014 की छायाप्रति संलग्न है। उक्त प्रतिवेदन ग्राम कसही के उल्लेखित खसरा कमांक में की गई प्रविष्टियों को म0प्र0 भू– राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत स्वप्रेरणा में

लिया जाकर न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक पुनरीक्षण/2013–14 दर्ज किया गया, जिसमें आवेदक की उपरोक्त भूमि जो पुनरीक्षण की कण्डिका क्रमांक 1 में दर्शायी गयी है, को भूमिस्वामी हक में दर्ज खसरा को वापिस मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया, जिसके संबंध में आवेदक द्वारा जबाव पेश करने हेतु दिनांक 07.05.2014 तक समय दिया गया, तदानुसार आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला जबलपुर के समक्ष उपरोक्त कारण बताओ सूचना पत्र का विरोध करते हुए निवेदन किया, कि जिस आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण याचिका कलेक्टर न्यायालय में स्वप्रेरणा से कार्यवाही करने का कारण बताओ नोटिस में ना तो आदेश के संबंध में कोई ब्यौरा दिया गया है और ना ही किसी प्रोसिडिंग के संबंध में कोई जानकारी दी है, ऐसी स्थिति में कलेक्टर न्यायालय द्वारा किया गया, कारण बताओ सूचना पत्र विधि के विपरीत है। जहाँ तक प्रश्न तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 07.04.2014 का है, उसमें वर्ष 1984–85 में प्रश्नाधीन भूमि राजस्व प्रकरण क्रमांक 46/अ–19/1984–95 न्यायालय एस.बी. मेश्राम, नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 12.04.1985 द्वारा कसही में स्थित शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 342 पुराना खसरा क्रमांक 34212 बन्दोबस्त पश्चात् वर्तमान खसरा क्रमांक 287 में से 2 हैक्टेयर भूमि मद घास राजू बल्द सूरज को पट्टे पर दी गयी थी और उसका नाम भूमिस्वामी हक में पट्टे के अनुसार दर्ज किया गया था। उक्त आबंटन के विरूद्ध किसी ने ना तो कोई अपील की और ना ही पुनरीक्षण किया गया। राजू बल्द सूरज का नाम शासकीय अभिलेखों में भूमिस्वामी हक में दर्ज चला आ रहा था। वर्ष 1990–91 में ग्राम बन्दोबस्त हुआ, बन्दोबस्त के दौरान भी किसी ने कोई आपत्ति नहीं की और विधिवत बन्दोबस्त के पट्टे जारी किये गये और उनको बन्दोबस्त अधिकारी ने कोई आपत्ति ना आने पर पुष्टि कर दी गयी, इसलिए राजू बल्द सूरज का नाम भूमिस्वामी हक में दर्ज किया। बन्दोबस्त समाप्त होने के बाद उसका नोटिफिकेशन भी किया गया लेकिन किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, यहाँ तक कि शासन की ओर से भी कोई आपत्ति नहीं की गयी। तत्पश्चात राजू बल्द सूरज ने उपरोक्त भूमि रजिस्ट्रीकृत बयनामें से कई लोगों को विक्रय कर दी। इस प्रकार आवेदक ने जिससे जमीन रजिस्ट्रीकृत बयनामें से खरीदी है, उसका नाम भूमिस्वामी हक में दर्ज रहा है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए कलेक्टर को सभी बिन्दुओं पर अवगत कराया गया। किन्तु उनके द्वारा अपने आदेश दिनांक 01.08.2014 के अनुसार आवेदक के भूमिस्वामी हक की भूमि खसरा क्रमांक 287/3, रकवा 0.380 हैक्टेयर को भूमिस्वामी हक से बदलकर शासकीय मद में दर्ज करने का आदेश दे दिया गया।

अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह भी बताया है कि अधिक समय बाद प्रकरण को स्वमेव पुनरीक्षण में नही लिया जा सकता है। इस संबंध में 2010 आर.एन. 409 पूर्ण न्यायपीठ उच्च न्यायालय का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया है इस प्रकार कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा प्रकरण को

स्वमेव पुनरीक्षण में पंजीबद्व कर जो आदेश पारित किया है वह विधि एवं प्रक्रिया के सिद्वांतो के प्रतिकूल होने से निरस्त किया जाये। अंत में निगरानी स्वीकार किये जाने एवं कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा पारित आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया गया।

4– अनावेदक की ओर से उपस्थित अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में बताया कि कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा वर्तमान प्रकरण में जो कार्यवाही कर आदेश पारित किया है वह विधि एवं प्रक्रिया के अनुसार सही होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

5– प्रकरण में मेरे द्वारा अभिभाषकगणों के तर्कों पर मनन किया गया एवं विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्म अध्ययन किया गया। उक्त प्रकरण में कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा प्रकरण को स्वमेव पुनरीक्षण में पंजीबद्व कर कार्यवाही प्रारंभ की गयी। जिसके संबंध में भूमि स्वामी को सुनवाई का विधि अनुसार अवसर नहीं दिया गया है, जबकि वह वर्तमान में विवादित भूमि के भूमिस्वामी हैं। नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 12.04.1985 द्वारा ग्राम कसही में स्थित शासकीय भूमि खसरा नं.342 पुराना खसरा नं. 34212 बन्दोबस्त पश्चात् खसरा नं. 287 हैक्टेयर में से 2.00 हैक्टेयर भूमि घास मद का राजू बल्द सूरज को पट्टे पर दी गयी थी। और उसका नाम भूमि स्वामी हक में पट्टे के अनुसार दर्ज किया गया था। उक्त आवंटन के विरूद्व किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई अपील अथवा पुनरीक्षण नहीं किया गया है अतः उक्त आदेश अपने स्थान पर अंतिम हो गया है। ऐसे अंतिम आदेश को शिकायत के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय, अपर कलेक्टर को आवेदक के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि खसरा नं.287/3 रकवा 0.380 हैक्टेयर को भूमिस्वामी हक से शासकीय मद में परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है, चूंकि उपरोक्त इन्द्राज बन्दोबस्त के समय तक उसकी पुष्टि कर दी गयी है और यह पुष्टि बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा की गयी है, ऐसी स्थिति में कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण को स्वमेव पुनरीक्षण में लेकर आवेदक के भूमिस्वामी की हक की भूमि को शासकीय मद में परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.04.1985 को लम्बे समय पश्चात् स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण में नहीं लिया जा सकता। न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर ने मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत प्रकरण स्वमेव निगरानी में अधिक समय बाद लिया है। जबकि न्यायदृष्टांत 1994 आर.एन. 392 उच्च.न्याया., 2010 आर.एन.273 उच्च न्याया., 2011 आर.एन.426, 2010 आर. एन.409 पूर्ण पीठ में उल्लेख किया है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग–आदेश की अवैधता, अनौचित्यता तथा कार्यवाहियों की अनियमितता की जानकारी के दिनांक से समुचित कालावधि के भीतर होना चाहिए – 180 दिन के भीतर प्रयोग की जानी चाहिए। इसलिए उपरोक्त न्यायदृष्टांत को नजरअंदाज कर जो आदेश कलेक्टर, जबलपुर द्वारा पारित किया गया है, वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.08.2014 निरस्त किया जाकर तहसीलदार पनागर को निर्देशित किया जाता है कि वह आवेदक का नाम पूर्ववत राजस्व अभिलेखों में दर्ज करें, तदनुसार यह वर्तमान निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर